उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार–249404
Website:psc.uk.gov.in

संख्या : 429 / 83 / 02 / डी0आर0(अधी0) / सेवा–1 / 2024–25 दिनांकः 02 अगस्त, 2025

विस्तृत विज्ञप्ति
अधीक्षिका (महिला कल्याण विभाग) चयन–2025

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग में अधीक्षिका (महिला) के रिक्त 01 (अनारक्षित श्रेणी) पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु जारी विज्ञापन संख्याः–A-1/DR/S-1/2025, दिनांक 11 जुलाई, 2025 के माध्यम से विज्ञापित अधीक्षिका (महिला कल्याण विभाग) चयन–2025 हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे।

2–विज्ञप्ति संख्याः 407 / 83 / 02 / डी0आर0(अधी0) / सेवा–1 / 2024–25 दिनांक 11 जुलाई, 2025 द्वारा जारी उक्त विज्ञापन के अतिमहत्वपूर्ण निर्देशों के बिन्दु संख्या–6 तथा विज्ञापन के बिन्दु संख्या–14 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों में संशोधन / परिवर्तन (Edit/Correction) किए जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर Online Edit Window लिंक दिनांक 08 अगस्त, 2025 से दिनांक 17 अगस्त, 2025 तक (रात्रि 11.59.59 बजे तक) खोले जाने का उल्लेख किया गया था, **जिसके क्रम में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन / परिवर्तन (Edit/Correction) किए जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर Online Edit Window लिंक दिनांक 08 अगस्त, 2025 से दिनांक 17 अगस्त, 2025 तक (रात्रि 11.59.59 बजे तक) खोला जाता है। जिसके संबंध में दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–**

- **(i)** ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत (**Edit/Correction**) का लिंक खोला जाएगा।
- **(ii)** **Edit/Correction** हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।
- **(iii)** जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वही अभ्यर्थी अपने ई–मेल आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग–इन कर पायेंगे।
- **(iv)** लॉग–इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में **(मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 को छोड़कर)** आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
- **(v)** अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन–पत्र में **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा **Update** हो सकेगा।
- **(vi)** **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् **Edited Data** ही अंतिम माना जायेगा।
- **(vii)** अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी / उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी / उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तो के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0 / उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नही पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नही होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन / त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- **(viii)** अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त संशोधन / परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि / दावे को संशोधित / परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd/

(गिरधारी सिंह रावत)

सचिव